1/33146/2023
1/33146/2023

File No. लीज-12-101/19/2023-2VM-FOREST DEPT (Computer No. 24067)

Phone & Fax no. 0135-2658294
E-mail: cfshiwa.forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मरटखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वनभूमि ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/11139/2015)

संदर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/ 282 दिनाँक 31.05.2023, आपका पत्रांक— 127/ FP/ UK/ ROAD/11139 दिनाँक 25.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी भू0सं0 वन प्रभाग लैन्सडौन द्वारा अपने पत्रांक- 2884/12-1 दिनांक-08/08/2023 से बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रस्तुत की है:-

क0	आपत्ति	निस्तारण
1	The area under violation is required to be assessed and detailed report of DFO along with all the details is requested to be submitted.	भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन आयोजित FRCM की बैठक एवं पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/974 दिनाँक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अधिकारियों के साथ दिनाँक 13.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया था। **(निरीक्षण आख्या संलग्न)** संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज श्री इन्द्रमोहन कोठारी, श्री उमेश सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुधीर कुमार मंमगांई अधिशासी अभियन्ता, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं श्री राम सिंह अपर सहायक अभियन्ता आदि अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियो का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत सामरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 06 डाम्पिंग जोन बनाये गये है **(संलग्न फोटोग्राफ)**। तत्तसमय 02 डम्पिंग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है **(संलग्न फोटोग्राफ)**। चूंकि मोटर मार्ग पर कटिंग का कार्य हुये दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डाम्पिंग जोन में/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डाम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान डाम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। जिन स्थानों पर मलवा डाम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डाम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है।
2	The information regarding the action taken by the forest department under the IFA 1927 is also required to be submitted	उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी के साथ दिनाँक 13.02.2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन अधिनियम 1927/1980 के निहित प्राविधानों का उल्लघंन किया गया है।

यह भी अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण के संबंध में भारत सरकार से दिनाँक 09.10.2019 को सैदान्तिक स्वीकृत प्राप्त हुई हुई है अतः उपरोक्तानुसार विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः— 1.उपरोक्तानुसार

भवदीय

Signed by Rajiv Dhiman
Date: 24-08-2023 17:07:28

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक ____________/________ दिनांकित ।

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन को उनके उपरोक्त विषयांकित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0—सिंचाई खण्ड कोटद्वार।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

Generated from eOffice by RAJIV DHIMAN, RAJIV DHIMAN_CF SHIVALIK, CF SHIVALIK, FOREST DEPT on 24/08/2023 05:07 pm

o/c

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांकः- 2884/12-1 ,दिनांक, लैन्सडौन, 08,08, 2023

सेवा में

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वनभूमि ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/11139/2015)

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/282 दिनॉक 31.05.2023, आपका फाईल सं0 लीज—12—101/19/2023—2 VM-FOREST DEPT (COMPUTER NO 24067) DATE 14-07-2023, इस कार्यालय का पत्रॉक 2732/12—1 दिनॉक कोटद्वार 24.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.05.2023 को 2 बिन्दुओं पर आपत्तियॉ लगायी गयी थी। जिसका निस्तारण तत्समय ही इस कार्यालय के पत्रॉक 2732/12—1 दिनॉक 24.06.2023 द्वारा आपको प्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्रॉक 127/(FP/UK/ROAD/11139/2015) देहरादून दिनॉक 25 जुलाई 2023 के द्वारा पुनः निर्देशित किया गया है कि पूर्व में भारत सरकार द्वारा दिनॉक 31.05.2023 को 2 बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार प्रश्न—उत्तर दिया जायें।

अतः भारत सरकार के द्वारा पूर्व में दिनॉक 31.05.2023 के द्वारा 2 बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण कर आख्या पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क0सं0	आपत्ति	निस्तारण
1	The area under violation is required to be assessed and detailed report of DFO along with all the details is requested to be submitted.	भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन आयोजित FRCM की बैठक एवं पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/974 दिनॉक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अधिकारियों के साथ दिनॉक 13.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया था। **(निरीक्षण आख्या संलग्न)** संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज श्री इन्द्रमोहन कोठारी, श्री उमेश सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुधीर कुमार मंमगई अधिशासी अभियन्ता, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं श्री राम सिंह अपर सहायक अभियन्ता आदि अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियो का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 06 डाम्पिंग जोन बनाये गये है **(सलंग्न फोटोग्राफ)**। तत्तसमय 02 डम्पिग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है **(सलंग्न फोटोग्राफ)**। चूंकि मोटर मार्ग पर कटिंग का कार्य हुये दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डाम्पिंग जोन में/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डाम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु सयुंक्त निरीक्षण के दौरान डाम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। जिन स्थानों पर मलवा डाम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डाम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है।

	The information regarding the action taken by the forest department under the IFA 1927 is also required to be submitted	उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी के साथ दिनॉक 13.02.2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुॅचायी गयी है और न ही वन अधिनियम 1927 / 1980 के निहित प्राविधानों का उल्लघंन किया गया है।

साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार से दिनॉक 09.10.2019 को सैदान्तिक स्वीकृत प्राप्त हुई है।

सलंग्नः– 1. संदर्भित पत्र की छायाप्रति–2 प्रतियों में।
2. उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक 2884/12-1 / दिनांकित ।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रॉक 127/(FP/UK/ROAD/11139/2015) देहरादून दिनॉक 25 जुलाई 2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड कोटद्वार को उनके पत्रॉक 493/पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0 कोटद्वार दिनॉक 22.06.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0— सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel:- 01382-2224570
Fax:- 01382-2229847
E-mail Id:- eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पंत्राक 671/पी0एम0जी0एस0वाई0— सिंचाई खण्ड/कोटद्वार दि0 07/08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषयः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वनभूमि ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/11139/2015)

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/282 दिनॉक 31.05.2023, वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून फाईल सं0 लीज—12—101/19/2023—2 VM-FOREST DEPT (COMPUTER NO 24067) DATE 14-07-2023, प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन के पत्रॉक 2732/12—1 दिनॉक कोटद्वार 24.06.2023 एवं इस कार्यालय के पत्रॉक 493/पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0 कोटद्वार दिनॉक 22.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रो के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.05.2023 को 2 बिन्दुओ पर आपत्तियॉ लगायी गयी थी। जिसका निस्तारण तत्समय ही इस कार्यालय, आपके प्रभाग व वन संरक्षक शिवालिक वृत्त देहरादून के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्रॉक 127/(FP/UK/ROAD/11139/2015) देहरादून दिनॉक 25 जुलाई 2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूर्व में भारत सरकार द्वारा दिनॉक 31.05.2023 को 2 बिन्दुओ पर लगायी गयी आपत्तियो का बिन्दुवार प्रश्न—उत्तर दिया जायें।

अतः भारत सरकार के द्वारा पूर्व में दिनॉक 31.05.2023 के द्वारा 2 बिन्दुओ पर लगायी गयी आपत्तियो का बिन्दुवार निस्तारण कर पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क0 सं0	आपत्ति	निस्तारण
1	The area under violation is required to be assessed and detailed report of DFO along with all the details is requested to be submitted	भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन आयोजित FRCM की बैठक एवं पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/974 दिनॉक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में याचक विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) एवं वन विभाग के अधिकारियो के द्वारा दिनॉक 13.02.2023 को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निहित मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। **(निरीक्षण आख्या संलग्न)** संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से श्री दिनकर तेवाडी प्रभागीय वनाधिकारी, श्री इन्द्रमोहन कोठारी वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज, श्री उमेश सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुधीर कुमार ममगाई अधिशासी अभियन्ता, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं श्री राम सिंह अपर सहायक अभियन्ता आदि अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियो का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 06 डाम्पिंग जोन बनाये गये है **(सलंग्न फोटोग्राफ)**। तत्तसमय 02 डम्पिग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में

		क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है (सलंग्न **फोटोग्राफ)**। चूंकि मोटर मार्ग पर स्टेज–1/कटिंग का कार्य दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डाम्पिंग जोन में/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डाम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु सयुंक्त निरीक्षण के दौरान डाम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। तथा जिन स्थानों पर मलवा डाम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डाम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है।
2	The information regarding the action taken by the forest department under the IFA 1927 is also required to be submitted	संयुक्त निरीक्षण दिनॉक 13.02.2023 के दौरान पाया गया कि निर्माण ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन अधिनियम 1927/1980 के निहित प्राविधानों का उल्लघंन किया गया है।

साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैदान्तिक स्वीकृत को 5 वर्ष भी शीघ्र पूर्ण होने वाले जिससे विधिवत् स्वीकृति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना अति आवश्यक है।

सलंग्नः– 1. संदर्भित पत्र की छायाप्रति।
2. उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

पंत्राक 671/ पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड/कोटद्वार तद्दिनॉक
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–
1.– अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौडी गढवाल।
4. सहायक अभियन्ता प्रथम पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 कोटद्वार गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि०मी०) हेतु 2.275 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

(**Online Proposal No- FP/UK/ROAD/11139/2015**)

संदर्भः– भारत सरकार का वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी / यू०सी०पी०/06/15/2019/एफ0सी0 /282 दिनांक 31.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार ने अपने कार्यालय पत्र– 2732/12–1 दिनांक– 24/06/2023 से अवगत कराया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी० / यू०सी०पी०/06/15/2019/ एफ०सी०/ 974 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग का दिनांक 13.02. 2023 को वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड कोटद्वार) के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुंची क्षतियो का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 02 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है जिसमें विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 06 डम्पिंग जोन बनाये गये है (फोटोग्राफ सलंग्न) तत्तसमय 02 डम्पिंग जोनों में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गये थे। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है। (फोटोग्राफ सलंग्न) मोटर मार्ग पर दो वर्ष पूर्व कार्य पूर्ण हो चुका है.. इसलिए अधिकांश डम्पिंग जोन में / साइट पर मलवा **Stabilized** हो चुका है, जिससे वर्तमान में डम्पिंग जोन के **wire crate/wall satellite imagery** से स्पष्ट नहीं दिख रहे परन्तु सयुंक्त निरीक्षण के दौरान डाम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। जिन स्थानों पर मलवा डम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है। इस प्रकार प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन संरक्षण अधिनियम 1927 के निहित प्राविधानों का उल्लघन किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैदान्तिक स्वीकृत को 05 वर्ष पूर्ण होने वाले है जिस कारण विधिवत स्वीकृति यथासमय प्राप्त करना अति आवश्यक है।

Generated from eOffice by JAMUNA PRASAD BHATT, SAO-JPBHATT, SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 14/07/2023 10:42 am

I/27519/2023

I/27519/2023

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांकः–   / 12–1 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

3. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) उत्तराखण्ड, पौडी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन को उनके सदंर्भित पत्र के क्रम में ।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

Generated from eOffice by JAMUNA PRASAD BHATT, SAO-JPBHATT, SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 14/07/2023 10:42 am

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांकः– 2732 / 12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 24/06/, 2023

सेवा में

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून
दिनांक 3/7/23

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 (वनभूमि Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11139/2015) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/282, दिनांक 31.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/974 दिनॉक 11.10.2022 के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में दिनॉक 13.02.2023 को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि0मी0) 2.275 है0 का वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग(पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार) के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुॅची क्षतियो का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 06 डाम्पिंग जोन बनाये गये है **(सलंग्न फोटोग्राफ)**। तत्तसमय 02 डम्पिग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गयेा। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है **(सलंग्न फोटोग्राफ)**। मोटर मार्ग पर दो वर्ष पूर्व कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डाम्पिंग जोन में/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डाम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु सयुंक्त निरीक्षण के दौरान डाम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे तथा जिन स्थानों पर मलवा डाम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डाम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है। इस प्रकार प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुॅचायी गयी है और न ही वन अधिनियम 1927 के निहित प्राविधानों का उल्लघंन किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैदान्तिक स्वीकृत को 5 वर्ष भी शीघ्र पूर्ण होने वाले है जिससे विधिवत् स्वीकृति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना अति आवश्यक है।

अतः महोदय विषयक प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(दिनकर तेवाडी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांक 2732 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर,फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(दिनकर तेवाडी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

O/C

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0—सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382- 224570
Phone : 01382- 229847
Fax : 01382- 229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पत्रांकः— 497 / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0, कोटद्वार / दिनांक 22/06/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग,
लैन्सडौन।

विषयः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 (वनभूमि Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11139/2015) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार का पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 15 / 2019 / एफ0सी0 / 282, दिनांक 31.05.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन का पत्रांक 2411 / 12—1, दिनांक लैन्सडौन 08.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि पूर्व में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 15 / 2019 / एफ0सी0 / 974 दिनॉक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में दिनॉक 13.02.2023 को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निहित मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से आप, श्री इन्द्रमोहन कोठारी वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज, श्री उमेश सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से अधोहस्ताक्षरी, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं श्री राम सिंह अपर सहायक अभियन्ता, आदि अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियो का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 06 डाम्पिंग जोन बनाये गये है (सलंग्न फोटोग्राफ)। तत्तसमय 02 डम्पिग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गयेा। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है (सलंग्न फोटोग्राफ)। चूंकि मोटर मार्ग पर स्टेज—1 / कटिंग का कार्य दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डाम्पिंग जोन में / साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डाम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु सयुंक्त निरीक्षण के दौरान डाम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। तथा जिन स्थानों पर मलवा डाम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डाम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है। इस प्रकार निर्माण ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन अधिनियम 1927 / 1980 के निहित प्राविधानों का उल्लघंन किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैधान्तिक स्वीकृत को 5 वर्ष भी शीघ्र पूर्ण होने वाले, जिससे विधिवत् स्वीकृति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना अति आवश्यक है।

कमशः—2

अतः आपसे अनुरोध है कि सन्दर्भित पत्र के कम में उपरोक्तानुसार आपत्तियों को निराकरण करते हुये आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे शीघ्र अतिशीघ्र उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

सलंग्नः—उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0)
कोटद्वार (गढवाल)

पंत्राक – / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 / तदिनांक

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता प्रथम पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 कोटद्वार गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0)
कोटद्वार (गढवाल)

संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 है0 वनभूमि ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/11139/2015) के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/974 दिनॉक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में दिनॉक 13.02.2023 को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निहित मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से श्री दिनकर तेवाड़ी प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन, श्री इन्द्रमोहन कोठारी वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज, श्री सुरमान सिह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुधीर कुमार ममगाई अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड कोटद्वार, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता, श्री शिव कुमार अपर सहायक अभियन्ता, के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिग जोन एवं डम्पिग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण करना रहा। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा मोटर मार्ग पर 06 डम्पिग जोन बनाये गये है परन्तु वर्तमान में 02 डम्पिग जोन अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गये है तथा मोटर मार्ग के कि0मी0 03, 04 एवं 05 में वर्षाकाल में कुछ स्थानो पर वर्षा के कारण भू क्षरण हुआ है। मानसूनकाल में भू–कटाव के कारण कुछ स्थानो पर मलवा नापभूमि/सिविल भूमि में गया है तथा मानसून अवधि में जो मलवा नाप खेतो/सिविल भूमि में गया है उक्त मलवा पुनः डाम्पिंग जोन में डलवाया गया है तथा साइट निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि निर्माण ऐजेन्सी द्वारा जानबूझ कर पर्यावरण/सम्पदा क्षतिग्रस्त नही की गयी है और न ही वन अधिनियम 1980 के निहित प्राविधानो का उल्लंघन किया गया है।

संलग्नः– साइट के फोटोग्राफ

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड
कोटद्वार

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड
कोटद्वार

वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी
(चैलूसैण रेंज)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड
कोटद्वार

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

Name Of Work :	T02 ODR Mastkhal to Siladanda Motor Road, Stage-II
PACKAGE NO. :	UT -08-02/XVII

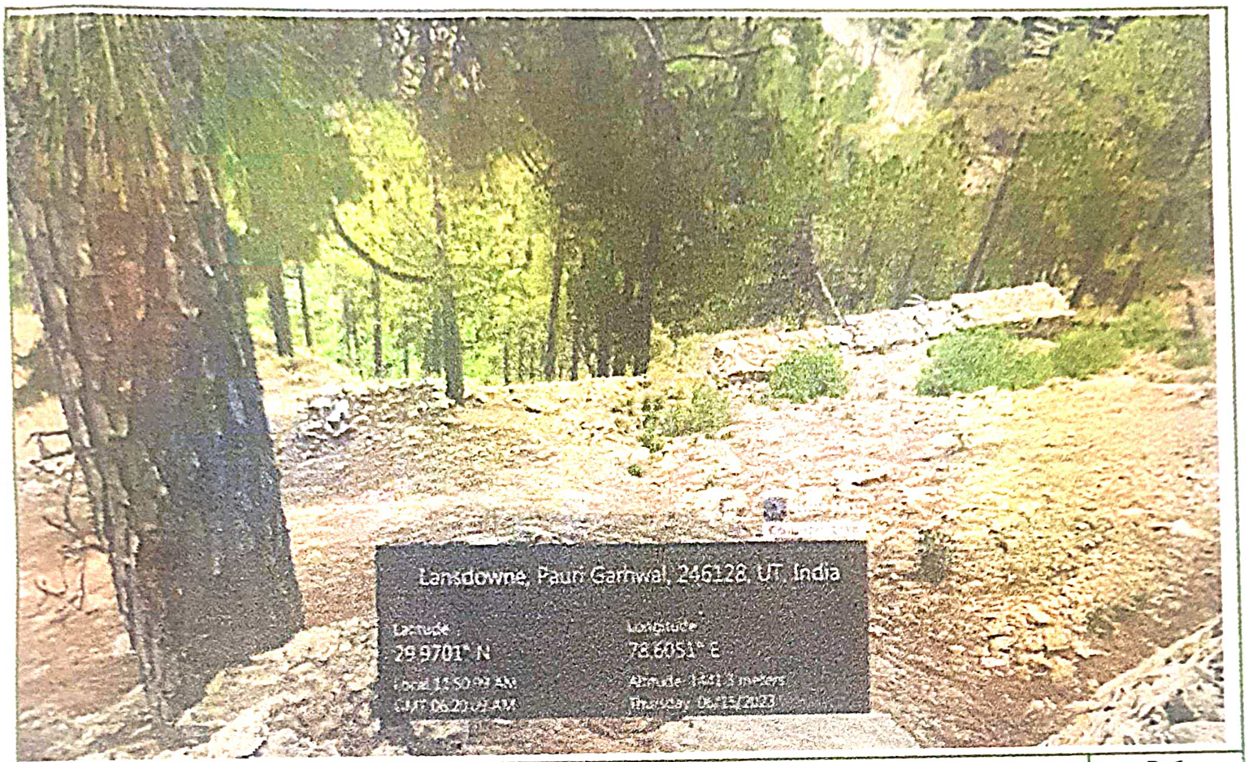

P-1

Repaired Dumping Zone at Km 2.00

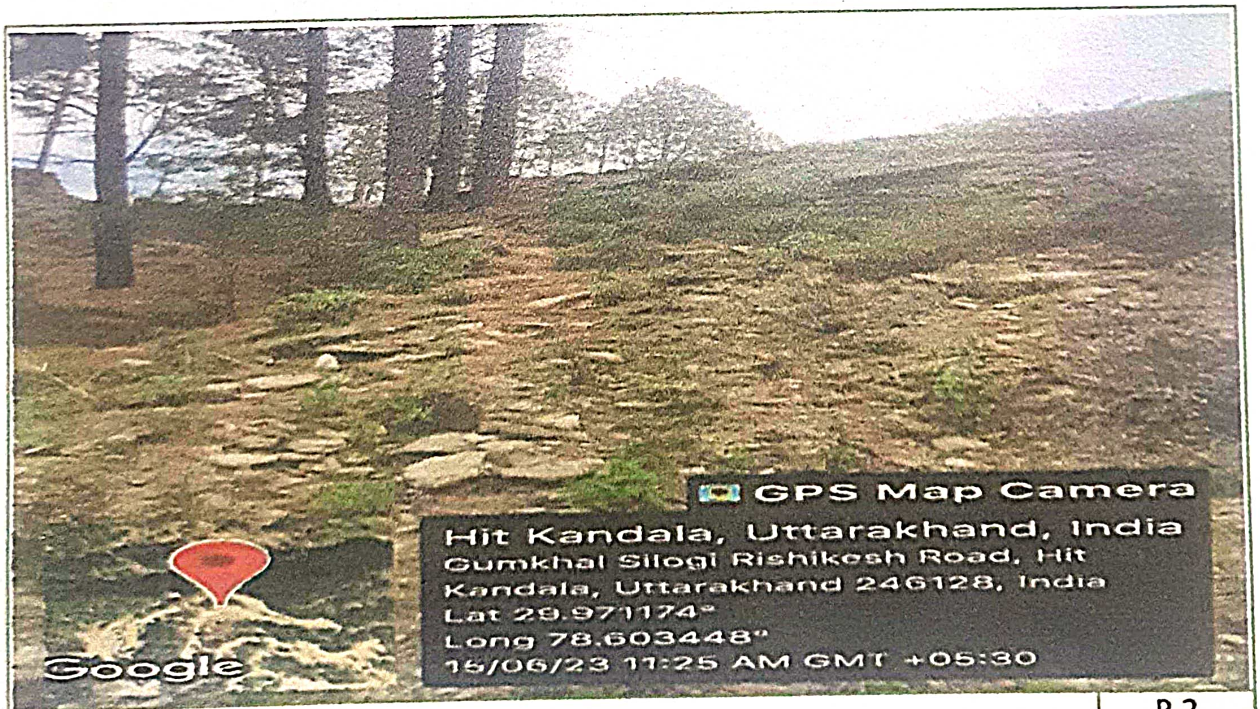

P-2

Stabilized Muck in Dumping Zone at Km 2.100

AE

Yogsingh
AET

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

Name Of Work :	T02 ODR Mastkhal to Siladanda Motor Road, Stage-II
PACKAGE NO. :	UT -08-02/XVII

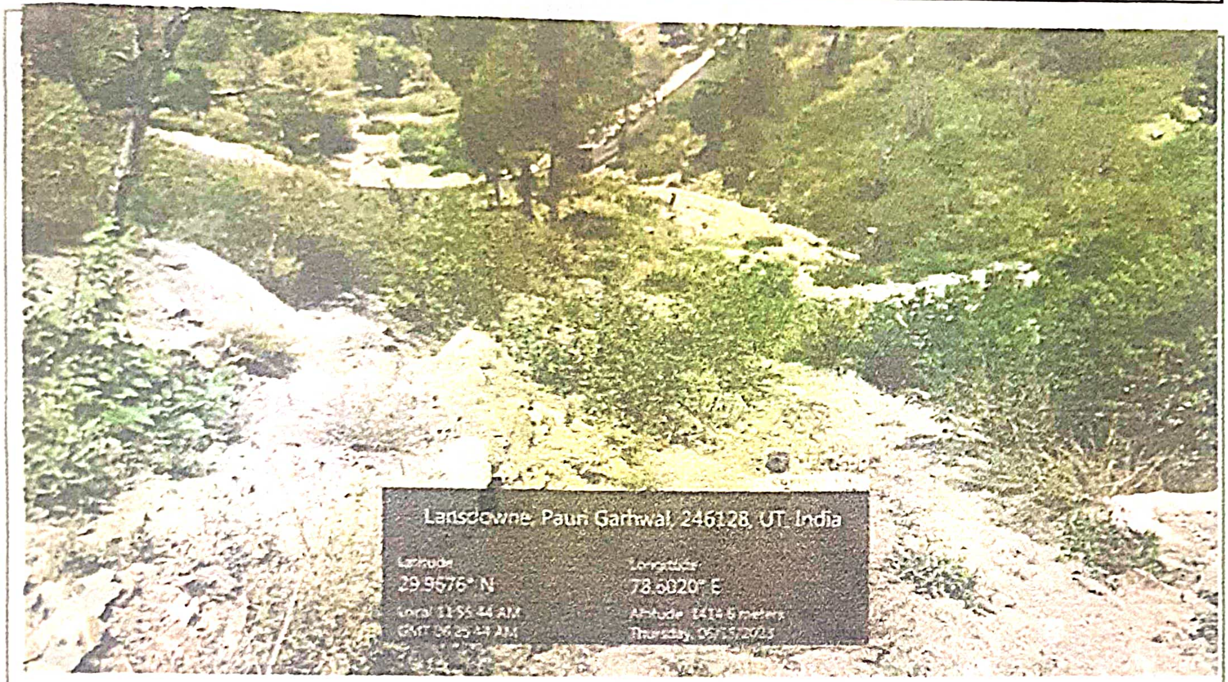

P-3

Dumping Zone at Km 2.325

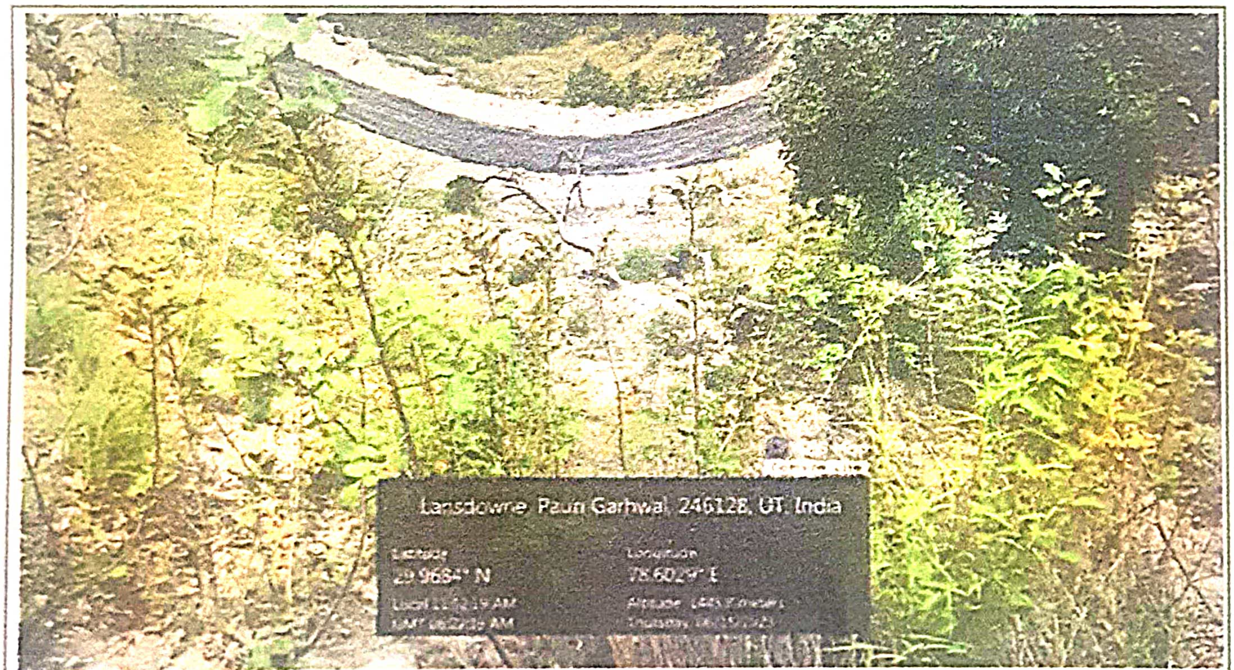

P-4

Dumping Zone at Km 2.975

AOE

Yogsingh
AE

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

Name Of Work :	Mastkhal to Siladanda Motor Road
PACKAGE NO. :	UT-08-18/XV & UT-08-02/XVII

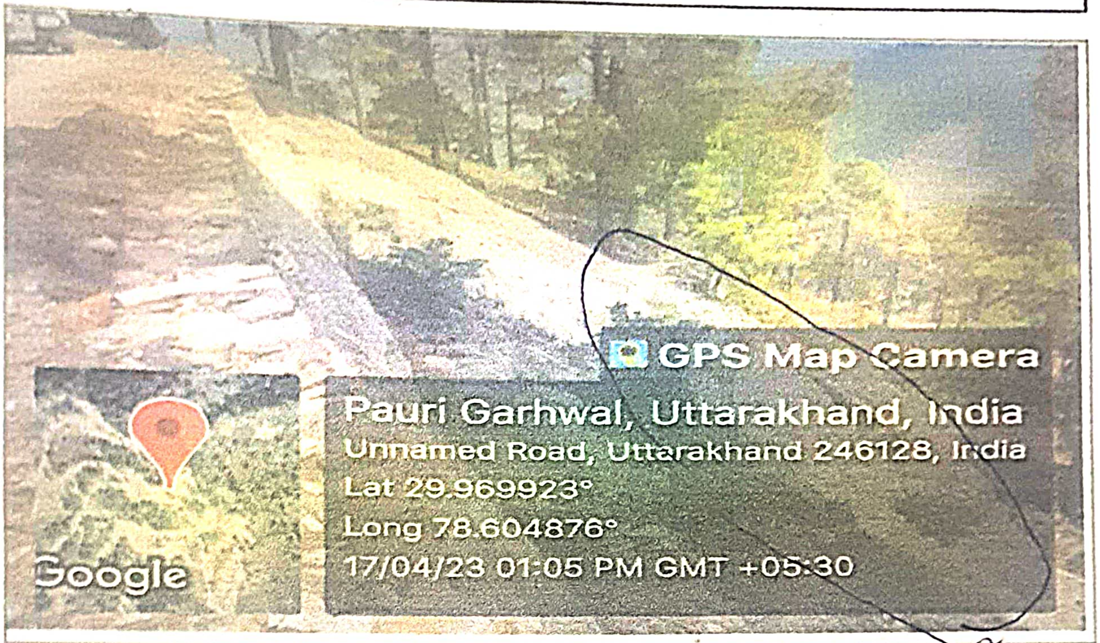

P-5

Dumping Zone at Km 4.00

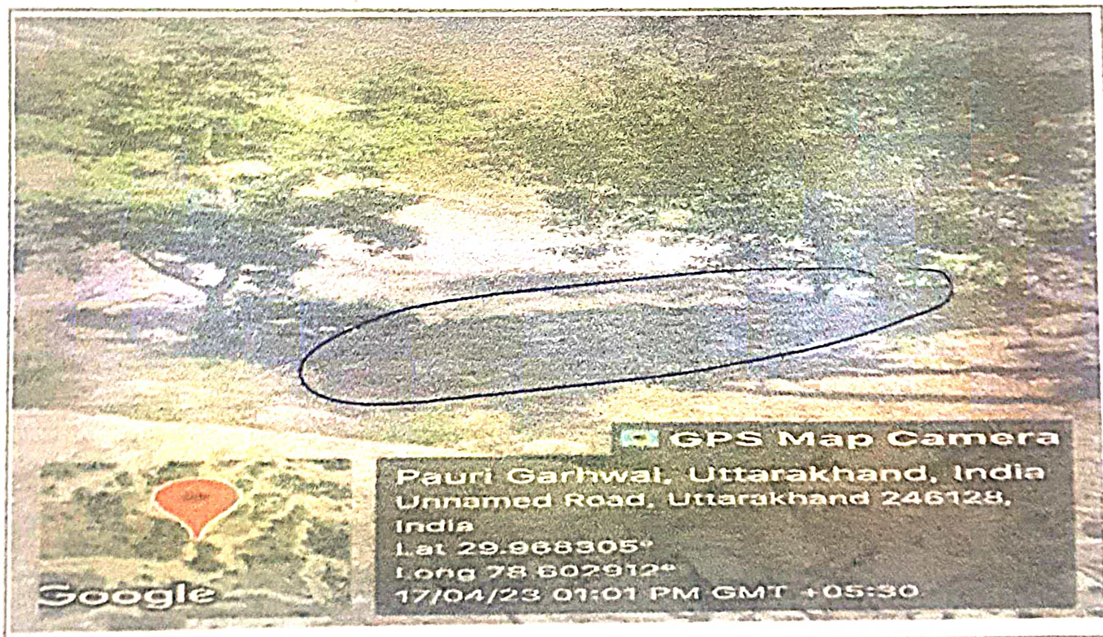

P-6

Dumping Zone at Km 4.00

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

Name Of Work :	T02 ODR Mastkhal to Siladanda Motor Road, Stage-II
PACKAGE NO. :	UT -08-02/XVII

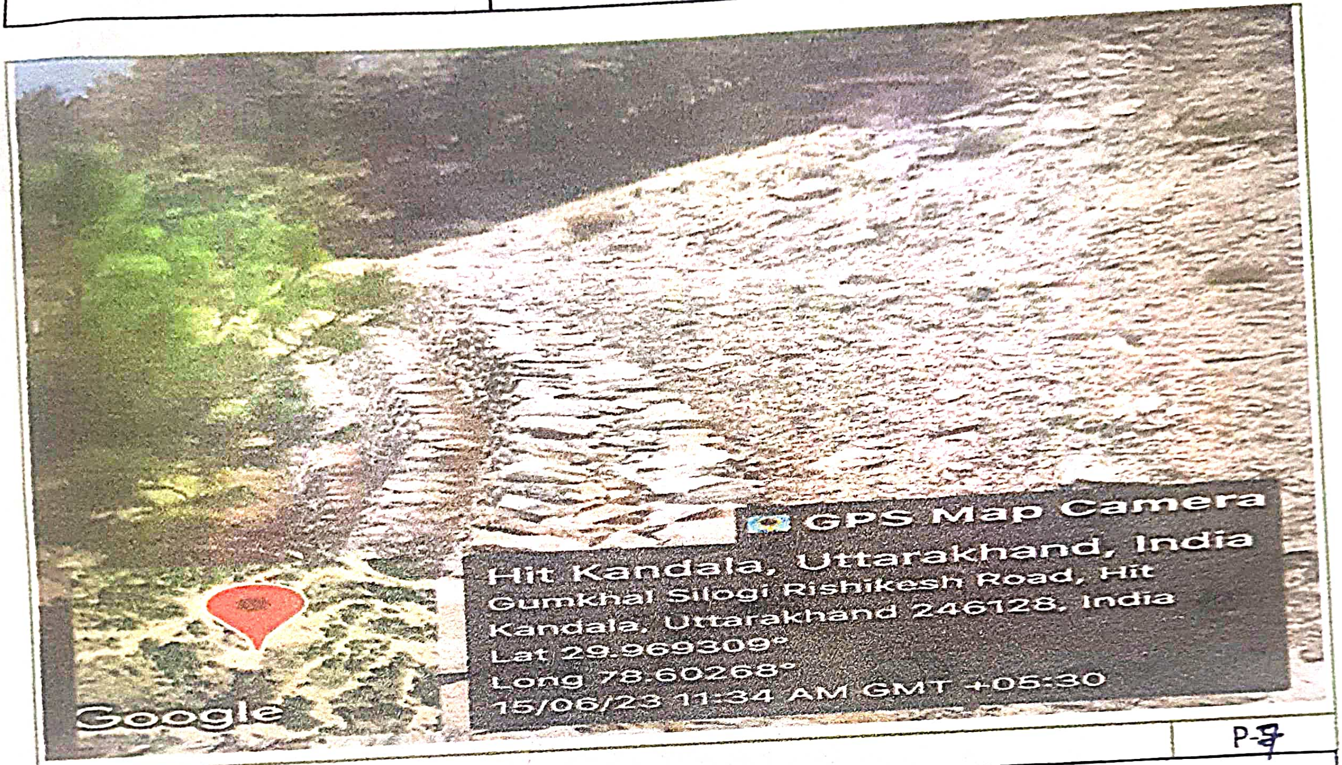

P-7

Repaired Dumping Zone at Km 3.125

AdE

Yogsingh
AGI